**भारत सरकार**

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. **3808** जिसका उत्तर

गुरूवार, **18 मार्च**, 2021/27 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है

**भारतीय क्रूज जलपोत उद्‌योग**

**†3808. श्री जसबीर सिंह गिल:**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार भारतीय क्रूज जलपोत उद्‌योग को बढ़ावा देने की योजना बना रही है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में क्रूज शिप के परिचालन की अनुमति दे सकती हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत में क्रूज प्रचालित करने वाली कंपनियों की कुल संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कंपनियों द्‌वारा चलाई जा रही क्रूज शिप की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा उनका प्रचालन मार्ग क्या है?

**उत्तर**

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री मनसुख मांडविया)**

**(क):** जी हां, भारत सरकार भारत में क्रूज जलपोत उद्‌योग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। देश में क्रूज पर्यटन को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्‌वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) अप्रवासन सुविधाओं से युक्त क्रूज टर्मिनलों पर क्रूज पोतों को बर्थ मिलने की गारंटी।

(ii) भारत में क्रूज पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राथमिकता बर्थिंग के लिए लगाए जाने वाले बाहर निकलने के प्रभारों को हटा दिया गया है।
(iii) सभी महापत्तनों के लिए छूटयुक्त एक समान एकल दर।
(iv) सभी महा पत्तनों में क्रूज पोतों के लिए युक्ति संगत प्रशुल्क।
(v) ई-वीज़ा और आगमन-पर वीज़ा सुविधाएं।
(vi) एकल ई-लैंडिंग कार्ड शुरू किया गया है जो कि क्रूज यात्रा मार्ग में सभी पत्तनों के लिए वैध है।
(vii) विदेशी क्रूज जलयानों के लिए कैबोटेज को फरवरी, 2029 तक समाप्त कर दिया गया है।

**(ख):** जी हां, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय ने 'भारत में क्रूज पर्यटन के विकास के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने' हेतु संयुक्त रूप से 3 विशेषज्ञ कंपनियों के एक कंसोर्टियम की नियुक्ति की है। इसके साथ ही, परामर्शदाता ने नियामक प्रशासन में सुधार लाने, अप्रवासन एवं सीमा-शुल्क निकासियों की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, क्रूज उद्योग को कर संबंधी प्रोत्साहन देने, पत्तनों पर क्रूज संबंधी अवसंरचना के क्षमता निर्माण, विपणन, निर्माण के सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

**(ग):** जी हां, राज्य सरकारें, प्रासंगिक सांविधिक प्रावधान के अनुरूप अपने संबंधित क्षेत्रों में क्रूज जलयानों के प्रचालन की अनुमति दे सकती है।

**(घ) और (ङ):** मैसर्स एंग्रिया सी ईगल प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत, उच्च स्तर की आतिथ्य/सुविधाओं अथवा मनोरंजन या आमोद-प्रमोद के लिए सुविधाओं/आवास के लिए श्रेणीकृत कक्षों, जोकि सामान्यत: क्रूज जलयानों में उपलब्ध होते हैं, से युक्त एंग्रिया नामक एक यात्री जलयान है। मैसर्स एंग्रिया सी ईगल प्राईवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले क्रूज जैसी सुविधाओं से युक्त इस यात्री जलयान को मुंबई-गोवा मार्ग पर प्रचालन की अनुमति दी गई है।

*****